तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अनु० रखे है। बार 2 आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित रहे है। अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/3/2025 को पेश हो।	
21/3/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 27/3/25 को पेश हो।	
27/3/25 →	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 1314 ग्राम वसोली प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमियों में पारिवारि बंटवारे के अनुसार प्रार्थी खसरा संख्या 1314 में पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 2221/1315 के सहारे काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी भूमियों में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1311 से रास्ते का उपयोग कर रहे है। अप्रार्थी 1 ने खसरा संख्या 1320 में आवास बना लिया है इसलिए खसरा संख्या 1311 में स्थित कदीमी रास्ते को छोडकर प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 2216/1220 व खसरा संख्या 1314 में निहित प्रार्थी के हिस्से की भूमि से जबरन रास्ता निकालना चाहते है। उनको पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 खसरा संख्या 1314 के संयुक्त खातेदार है जिनको प्रकरण में प्रार्थी बनने का अनुरोध किया गया। परन्तु वे प्रार्थी नही बने इसलिए उनको अप्रार्थी बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 जबरदस्ती रास्ता बनाने पर आमादा है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उसके द्वारा प्रार्थी की भूमियों पर रास्ता बना लिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उन्हे उक्त कृत्य करने से पाबंद किया जावे। बाद मनन बहस विवादित भूमिया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के संयुक्त खाते की भूमियॉ है जिन पर किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का अप्रार्थीगण को हक व अधिकार नहीं है। विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनता है व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में होने से एवं प्रार्थी अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2216/1220 वाके ग्राम वसोली व प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1314 वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली के किसी भी भू–भाग पर जबरन रास्ता नहीं निकाले, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नहीं करें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	